न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:–77/17 (आरसीएमएस नं. 2017/000117)

01. हनुमान,
02. कालूराम,
03. बंशीधर, पुत्रान स्व. श्री रामप्रसाद जी जाते माली समस्त निवासीयान कचौलिया रोड़ के पास कस्बा, चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. धूडीलाल उर्फ ओमप्रकाश,
02. छोटेलाल उर्फ सीताराम, पुत्रान स्व. श्री नृसिंह लाल, जाति माली, निवासी कचौलिया रोड़ के पास चौमू, जयपुर।
03. जगदीश,
04 सुनील पुत्रान स्व. श्री सूसीलाल, जाति माली निवासी कचौलिया रोड़, के पास चौमू, जयपुर।
05. बोदी देवी पत्नी बाबूलाल,
06. मोहनलाल,
07 सोहनलाल,
08. रामेश्वर प्रसाद,
09. सुशील कुमार
10. सुरेश पुत्रान स्व. श्री बाबूलाल जी जाति माली, समस्त निवासीयान कचौलिया रोड़, के पास कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
11. गीता देवी पुत्री बाबूलाल,
12. किरण देवी पुत्री बाबूलाल,
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 25.03.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 13.02.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजरव अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चौमू पटवार हल्का चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर में अपीलान्ट के पिता स्व. रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 749 के खसरा नम्बर 5393 लगायत 5404 व 5404 व 5408 लगायत 5411 कुल किता 16 कुल रकबा 6.54 हैक्टयर स्थित है, अपीलान्ट्स के स्वयं पिताजी 1/3 हिस्सा दर्ज है, उक्त हिस्सा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 04.01.1990

विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू का निर्णय किये बिना ही दिनांक 13.02.17 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 द्वारा प्रस्तुत अपील को विधि विरूद्ध रूप से अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2017 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मीमों में यह तथ्य अंकित किये गये कि रेस्पोडेट द्वारा एक वाद पत्र कालूराम बनाम बाबूलाल का उपखण्ड अधिकारी चौमू के यहॉ प्रस्तुत किया गया है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है परन्तु न्यायालय द्वारा यह गौर नही किया गया कि अस्थायी निषेधाज्ञा के केवल हाजा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध जारी की गई थी तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल मात्र विरासत से सम्बन्धित था जिसके बाबत वाद पत्र में व अस्थायी निषेधाज्ञा में किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नही था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र यह अभिकथन करते हुये कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभाव में रहते हुये अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाता है, निर्णय पारित किया गया है जो गलत है तथा मृतक की विरासत को रोका नही जा सकता है क्योंकि हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध कोई अपील अथवा दावा प्रस्तुत नही किया गया था, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा दूषित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1613 मृतक के वारिसानों के नाम तस्दीक किया गया है, विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अन्य सह खातेदार को नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है तथा मृतक के वारिसान द्वारा कोई अपील पेश नही की गई है, न ही किसी वारिस को वंचित किया गया तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार फौति नामान्तरकरण खोला गया है जिसे खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि मृतक रामप्रसाद के वारिसान ने एक दावा जिसमें अपीलान्ट्स भी पक्षकार है उनवानी कालूराम वगैरह बनाम बाबूलाल वगैरह जिसमें रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू में इस अनुतोष के साथ पेश किया है कि "यह कि वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद

घोषणा फरमाई जावें तथा राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार हिस्सा दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।" उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1613 स्वीकार करते समय राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के कॉलम संख्या 4 व नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 का मिलान नही किया गया जो विधि का मैन्डेटरी प्रावधान है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 1613 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राजस्व जमाबन्दी में मृतक रामप्रसाद का 1/3 भाग नही है जबकि विवादित नामान्तरकरण में 1/3 भाग होना अंकित कर खोला है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण रिकार्डेड खातेदारान को सूचना दिये बिना व सुनवाई का अधिकार दिये बिना खोला गया है जो निरस्तनीय ही था। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट्स ने मिलकर फर्जी इन्द्राज बताकर जमाबन्दी व दावे के तथ्यों को छिपाकर त्याग पत्र व संशोधन पत्र मे अंकित गलत राजस्व अंकन को आधार बनाकर खुलवाया है, जो अवैध प्रभावहीन है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दावे में स्थगन प्रभावी रहने के दौरान स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण के पूर्व कोई नोटिस नही दिया गया तथा रेस्पोडेन्ट को सर्वप्रथम दिनांक 24.03.2014 को जमाबन्दी की नकल लेने पर नामान्तरकरण का पता लगा रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण की प्रति दिनांक 31.03.2014 को प्राप्त की, दिनांक 31.03.2014 के पूर्व नामान्तरकरण खुलने की जानकारी नही थी नामान्तरकरण की जानकारी से अपील अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष वाद विचाराधीन है जिसमें दिनांक 09.03.2011 को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा मौका एवं रिकार्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये है तथा नामान्तरकरण संख्या 1613 दिनांक 21.08.2013 को स्वीकार किया गया है, जो दौराने स्थगन स्वीकार किया गया है जिसे उचित ठहराने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2017 उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।